राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 2(11सी) आरडी / नरेगा / 2006–07 जयपुर, दिनांकः– 4 AUG 2009

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान अन्तर्गत अनुबंध पर नियोजित कार्मिकों के सबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्वीकृत पद जिन्हें संविदा के आधार पर भरा जाना है, के सबंध में स्पष्ट दिशा निर्देशित किया गया है कि पदों के चयन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण की नियमों की पालना सुनिश्चित की जाये।

आयुक्त, निःशक्तजन, राजस्थान के ध्यान में लाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत संविदा पर नियुक्तियों के सबंध में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की पालना नही की जा रही है। इस पर आयुक्त, निःशक्तजन जिन्हें न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, द्वारा निर्देशित किया गया है कि योजनान्तर्गत नियमानुसार 3 प्रतिशत पद निःशक्त व्यक्तियों के माध्यम से भरे जायें तथा उनका बैकलॉक भी पूरा किया जाये।

इस सबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि आयुक्त, निःशक्तजन द्वारा जारी उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशाषी अभियंता (नरेगा)

D:\VIPIN CHOUDHARY\2009-10\Mukesh Vijay\Hindi\Letter\all coll. regarding Disabled Contract Person 03-08-09.doc